



कार्यालय उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

Email: dfo_mussoorie@rediffmail.com

Phone/Fax-0135-2631765

पत्रांक- 1614 / 12-1

मसूरी, दिनांक- 17 / 10 / 2022

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0-2,
नई टिहरी।

विषय :- जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर-कुमाल्डा-कददूरखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 41 से रिंगालगढ़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.722 हे0 वन भूमि वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online proposal No.-FP/UK/ROAD/124428/2021)

सन्दर्भ :- आपकी पत्र संख्या-1632/पी0-सिं0ख0-2, , दिनांक-12.10.2022।
महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार के पत्र संख्या-08बी/यू0सी0पी0/06/90 /2021/एफ0सी0/789, दिनांक-08.09.2022 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है, जिसके अनुपालनार्थ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति के आदेश में वर्णित शर्तों के अनुरूप एन0पी0वी0 व क्षतिपूरक देयताओं का भुगतान किया जा चुका है। उक्त परियोजना में क्षतिपूरक वृक्षारोपण आरक्षित अवनत वनभूमि में किया जाना है।

चूंकि उक्त परियोजना एक रेखीय परियोजना (Linear Project) है, अतः भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के शासनादेश संख्या-F.No. 11/306/2014-FC, दिनांक-07.05.2015, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-941/X-4/18/1-05(04)/2014, दिनांक- 26.09.2018 एवं भारत सरकार द्वारा जारी हैण्डबुक के पैरा-11.2 में प्राविधानित व्यवस्था के आलोक में विषयांकित प्रकरण के निर्माण कार्य हेतु वृक्षों के पातन एवं कार्य आरम्भ करने की अनुमति, उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से किये गये अनुरोध के क्रम में तथा विधिवत् स्वीकृति की प्रत्याशा में निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह अनुमति जारी होने के एक वर्ष तक तक ही वैध है।
2. यह अनुमति शासकीय/विभागीय नियमों व विभिन्न स्तर के मा0 न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अधीन मानी जायेगी।
3. वृक्षों के छपान से पूर्व वन विभाग के पर्यवेक्षण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव के अनुसार मोटर मार्ग के समरेखण के दोनो ओर स्पष्ट चिन्हांकन किया जायेगा।
4. परियोजना में वन भूमि में न्यूनतम वृक्षों का पातन किया जायेगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 87 वृक्षों एवं 66 Saplings से अधिक नहीं होगी एवं वृक्षों का पातन वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में किया जायेगा।
5. वन भूमि पर कोई भी शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को वन विकास निगम अथवा वैकैल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकैल्पिक ईंधन दिया जाएगा।

P.T.O.

7. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई भी अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।
8. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव में संलग्न मलवा निस्तारण योजना के अनुसार वन विभाग की देख रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा।
9. भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों/उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा, जिसके लिए प्रयोक्ता अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होगा।
10. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 एवं अन्य सुसंगत नियमों/आदेशों का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन किया जाना होगा।

(आशुतोष सिंह)

उप वन संरक्षक

मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

संख्या:- 1614/ तद्दिनांकित

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून।
2. मुख्य वन संरक्षक, आई0टीजी0सी0 एवं आधुनिकीकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा करें।
3. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(आशुतोष सिंह)

उप वन संरक्षक

मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

संख्या:- 1614/ तद्दिनांकित

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उप प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून उप वन प्रभाग, लाडपुर।
2. वन क्षेत्राधिकारी, रायपुर रेंज को इस आशय से प्रेषित है कि उपरोक्त शर्तों का कड़ाई से पालन करवाना सुनिश्चित करें एवं विषयांकित मोटर मार्ग में प्रभावित हो रहे वृक्षों की छपान सूची द्वारा उप प्रभागीय वनाधिकारी माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3. राजस्व शाखा प्रभारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

(आशुतोष सिंह)

उप वन संरक्षक

मसूरी वन प्रभाग, मसूरी